भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2792
दिनांक 19/4/2000 को उत्तर के लिए

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

92. श्री बालकवि बेरागी :

गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक विभाग और सरकारी उपक्रम अपने फार्मों और प्रक्रिया साहित्य को प्राइवेट प्रेस के माध्यम से अथवा अपने ही प्रिटिंग प्रेस में द्विभाषी रूप में मुद्रित कराने के बजाए सिर्फ अंग्रेजी में ही मुद्रित कराते हैं;

क्या ऐसा सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में ही किया जा रहा है ; और

यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कारवाई की गई है अथवा की जानी है ?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री आई0 डी0 स्वामी)

को,(ख) और (ग) राजभाषा नियम - 1976 के नियम -11 में यह निहित है कि संघ सरकार के सभी प्रकार के फार्मों और प्रक्रिया साहित्य को द्विभाषी रूप में मुद्रित रूप में मुद्रित करवाया जाए । इन नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी मंत्रालयों/ विभागों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों की है । राजभाषा विभाग को इस संबंध में उनसे तिमाही प्रगति रिपोर्ट के मंत्रालयों/ विभागों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों की है । राजभाषा विभाग को इस संबंध में इन प्रावधानों के उल्लंघन की कोई सूचना माध्यम से सूचना भेजी जाती है । सरकारी विभागों और उपक्रमों के संबंध में इन प्रावधानों के उल्लंघन की कोई सूचना नहीं मिली है ।

ajya on

ndi ion

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2792

TO BE ANSWERED ON 19.04.2000

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

2792. SHRI BALKAVI BAIRAGI;

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government are aware of the fact that a number of Departments and Government Undertakings are printing their forms and procedural literature through the private press or in their own departmental printing press only in English rather than printing them bilingually;
- (b) whethe this is being done in accordance with the Government's official language policy; and
- (c) if not, the action taken or to be taken in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI)

(a),(b)&(c): Rule 11 of the Official Languages Rules, 1976 provides that all forms and procedural literature shall be printed in diglot form. The responsibility of compliance of these rules is that of the administrative head of Ministries/Departments etc. Information in this regard is sent to Department of Official Language through quarterly progressive reports. No information regarding voilation of these provision by Government Department and Undertakings has been received.

5. श्री बालकवि वैर

गृह मंत्री यह बता

क्या सरकार ने में अनुवाद संबं पदोन्नति के उ यदि हां, तो र में भविष्य के

ह राज्य मंत्री (र्श्र

क) सरकार ने कार्यालयों में अनुव तथा जहां संभव न

(ख) संसदीय रूप में परिचालि विषय में सभी मं

लए विभिन्न मं